नगर निगम कोटा (राजस्थान)

(राजस्व अनुभाग)

राजीव गांधी भवन, नगर निगम कोटा, ब्लॉक "सी", कमरा नं0 301/307

नगर निगम सीमा क्षेत्र में एडवरटाईजर के पंजीकरण/पंजीयन नवीनीकरण के निर्देश

1. **शीर्षक :–** यह निर्देश नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में एडवरटाईजर के पंजीकरण/पंजीयन नवीनीकरण के निर्देश कहलायेगें और इनका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र होगा जो तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
2. **सक्षम प्राधिकारी :–** आयुक्त नगर निगम कोटा या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एडवरटाईजर के पंजीकरण/पंजीयन नवीनीकरण के लिये सक्षम अधिकारी होगा।
3. **एडवरटाईजर :–** एडवरटाईजर से अभिप्राय विज्ञापन प्रदर्शित करने का कार्य करने वाला कोई भारतीय व्यक्ति, व्यक्तिगत हैसीयत वाली फर्म, पार्टनर शिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी से है जिनका इन निर्देशों के अधीन पंजीयन आवश्यक है।
4. **विज्ञापन :–** विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पट्ट, विद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम) वालपेन्टिंग चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स, ट्राइविजन एडवरटाइजमेंट, बेकलिट एडवरटाइजमेंट, इल्यूमिनिटेड, ग्लोसाइन/न्योनसाइन आदि से है जो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकाश, चल वाहन/वस्तुओं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञान को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/ऐजेन्सी/व्यक्ति/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।
5. **आवेदक :–** कोई भी भारतीय व्यक्ति, व्यक्तिगत हैसीयत वाली फर्म, पार्टनर शिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी इन निर्देशों के अधीन नगर निगम कोटा में एडवरटाईजर के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है यदि वह निर्धारित मापदण्डो और शर्तो को संतुष्ट करते है। पंजीकृत एडवरटाईजर को इन निर्देशों एवं इनमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करना अनिवार्य होगा।
6. कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, जिसमें ऐसे व्यक्ति पाटर्नर के रूप में हो जो नगर निगम कोटा के बर्खास्त कर्मचारी हो या नगर निगम कोटा से कालीसूचीबद्व (Black Listed) हो या एडवरटाईजर्स की अनुमोदित सूची से बहिष्कृत किया हुआ/हुई हो या नगर निगम कोटा का किसी प्रकार से

बकायादार हो या नगर निगम कोटा के साथ व्यवसाय करने के लिये प्रतिबन्धित, निलम्बित या किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्व हो या दिवालिया घोषित हुआ/हुई हो या, इस प्रकार के पंजीकरण/पंजीयन नवीनीकरण हेतु योग्य नही होगा।

7. किसी भी एडवरटाईजर को एक से अधिक नाम से पंजीकरण कराने की अनुमति नही होगी।

8. कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी जिसका कोई प्रोपराईटर/डायरेक्टर इन निर्देशों के अधीन किसी पंजीकृत फर्म से सम्बद्व हो किसी अन्य नाम से पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी से सम्बद्व नही हो सकता। ऐसा होने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

9. **प्रभाव क्षेत्र (Scope) :–** नगर निगम कोटा में एडवरटाईजर के इन निर्देशों के अधीन पंजीकरण से केवल उसको विज्ञापन प्रदर्शन की निविदा प्रक्रिया में (निविदा शर्तो के अधीन) भाग लेने के योग्य बनाता है। इस प्रकार के पंजीकरण से किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार/अनुज्ञप्ति प्राप्त नही होगें। विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार/अनुज्ञप्ति समय–समय पर जारी प्रत्येक निविदा की शर्तो के अनुसार प्राप्त करने होगें। नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य करने वाले समस्त व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को इन निर्देशों के अधीन पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार के पंजीकरण से कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकारी/लाईसेंसी नही होगा। विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिये उसे पृथक से निविदा शर्तो/आवश्यक नियमों/उपविधियों के अनुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रकार का पंजीकरण केवल अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भाग लेने के योग्य बनाता है।

10. **पंजीयन प्रक्रिया :–** एडवरटाईजर्स को पंजीकरण हेतु संलग्न प्रारूप में सम्पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (जो कि निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा परिशिष्ट–1, 2, 3 व 4 के अनुसार हो) सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

11. आवेदन पत्र नगर निगम कोटा की वेबसाईट www.kotamc.org से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र के शुल्क के रूप में इस प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ रू0 500/– की राशि का डी0डी0 आयुक्त नगर निगम कोटा को देय आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय जमा करवाना होगा।

12. नगर निगम कोटा को पंजीकरण/पंजीयन नवीनीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार से पंजीकरण योग्य पाये गये आवेदको को सूचित कर दिया जावेगा। ताकि वह आगामी निविदा प्रक्रिया या अनुज्ञा प्रक्रिया में पंजीकरण दिनांक से आगे की इन निर्देशों के अधीन निर्धारित समयावधि के लिये भाग ले सके।

13. अपूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निरस्त योग्य होगा।

14. सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं, कार्यो आदि के सत्यापन, निरीक्षण और आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

15. **पंजीकरण संख्या :–** प्रत्येक इन निर्देशों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाये गये आवेदक को नगर निगम कोटा द्वारा एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या आवंटित की जायेगी जो प्रत्येक पत्राचार/सम्पर्क के लिये काम में लिया जावेगा।

16. पंजीकरण की अवधि :– पंजीकरण एक साल के लिये मान्य होगा। पंजीकरण का नवीनीकरण इन निर्देशो के अनुसार करवाया जा सकेगा। प्रत्येक नवीनीकरण एक साल की अवधि के लिये मान्य होगा जिसकी तिथि की गणना पूर्व के पंजीकरण या पूर्व के नवीनीकृत पंजीयन की समाप्ति तिथि से शुरू होगी। पंजीकरण यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निगम हित में या आवश्यक होने पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा और बाद पुनरीक्षण इस प्रकार का पंजीकरण निरस्त या निलम्बित या कोई भी अन्य आवश्यक निर्देश पंजीकरण की शर्तो में जोड़ा जा सकेगा।

17. एडवरटाईजर्स का इस प्रकार से किया गया प्रत्येक पंजीकरण/नवीनीकरण राजस्थान सरकार, नगर निगम कोटा के प्रचलित एवं समय–समय पर संशोधित कानूनो/नियमों/उपविधियों के अधीन होगा, चाहे पंजीकरण की दिनांक कोई भी हो।

18. पात्रता मापदण्ड :– पंजीकरण चाहने वाले प्रत्येक आवेदक का स्वंय का रजिस्टर्ड ऑफिस नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में बनाना होगा। यदि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड ऑफिस किराये पर लिया हो तो किराया नामा पेश करना होगा और यदि आवेदक व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र से अन्यत्र है तो प्रत्येक आवेदक को अनिवार्य रूप से नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में अपना ब्रान्च ऑफिस स्थापित करना होगा। यद्यपि प्रोपराईटरशीप के मामलों में प्रोपराईटर को जिस प्रकार का शपथ पत्र प्रोपराईटरशीप के संविधान के गठन के समय सबूत के रूप में आवश्यक था उसी प्रकार के शपथ पत्र पर ऑफिस का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।

19. आवेदक को न तो नगर निगम कोटा का किसी भी प्रकार की राशि का बकायादार नही होना चाहिये और ना ही आवेदक को कभी भी नगर निगम कोटा द्वारा कालीसूचीबद्व (Black Listed) हुआ होना चाहिये।

20. आवेदक बेनामी नही होना चाहिये।

21. आवेदक को संलग्न सारणी–1 में उल्लेखित न्यूनतम पात्रता शर्तो को पूरी करना होगा।

22. वित्तीय क्षमता का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट 6 के क्रमांक 6 में वर्णित दस्तावेजो के आधार पर किया जावेगा।

23. पंजीकरण शुल्क/प्रतिभूति जमा :– संलग्न सारणी–1 के अनुसार प्रत्येक आवेदक को आवेदन के समय गैर वापसी योग्य (Non Refundable) राशि प्रतिभूति जमा के रूप में तथा वापसी योग्य (Refundable) राशि जो कि श्रेणी के आधार पर जरिये डी0डी0/पे आर्डर आयुक्त नगर निगम कोटा को देय प्रस्तुत करने होगें।

24. संविधान में परिवर्तन :– पंजीकरण हस्तान्तरणीय नही होगा और फर्म या कम्पनी के संविधान/गठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नगर निगम कोटा की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जा सकेगा। यदि कोई भी इस प्रकार से पंजीकृत फर्म/संस्था/कम्पनी/व्यक्ति पंजीकरण के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सूचनाओं में परिवर्तन बिना नगर निगम की पूर्व स्वीकृति/सूचना के करता है तो पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा, जो कि इस प्रकार के परिवर्तन की तिथि से लागू होगा।

25. पता परिवर्तन :– पंजीकरण के समय आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपने रजिस्टर्ड हेड ऑफिस/ब्रांन्च ऑफिस का पता उल्लेखित करना होगा। यदि रजिस्टर्ड हेड ऑफिस/ब्रान्च ऑफिस अलग–अलग हो।

26. यदि एडवरटाईजर्स द्वारा दिये गये उक्त पतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना इस प्रकार के परिवर्तन से अधिकतम एक सप्ताह पूर्व नगर निगम कोटा में देनी होगी। अन्यथा उक्त अनुसार जारी पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

27. उक्त निर्देशों में असफल रहने पर एडवरटाईजर्स को अनुमोदित एडवरटाईजर्स सूची से बाहर कर दिया जावेगा।

28. पंजीकरण का नवीनीकरण :– (1) पंजीकरण का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।

(2) नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र (संलग्न परिशिष्ट–5 के प्रारूप में) पंजीकरण की समाप्ति तिथि से एक माह पूर्व प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। नवीनीकरण के लिये निर्धारित समय से पूर्व आवेदन करने में असफल रहने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा और आवेदक को नये सीरे से पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

(3) नवीनीकरण के लिये एडवरटाईजर्स के पूर्व के रिकार्ड, परफोरमेंश और विज्ञापन के ऑफिस के पतों के भौतिक सत्यापन होने के बाद ही गुण व दोष के आधार पर नवीनीकरण किया जायेगा।

(4) नवीनीकरण केवल प्राधिकृत अधिकारी के संतुष्टि के बाद ही अनुमत होगा। नवीनीकरण शुल्क नियमानुसार होगा :–

Categary 'A' :- 10,000/-

Categary 'B' :- 5,000/-

Categary 'C' :- 2,500/-

29. श्रेणी में परिवर्तन :– (1) पंजीकृत एडवरटाईजर्स को श्रेणी में परिवर्तन के लिये वर्ष में जिस कालावधि के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण किया हुआ है उस कालावधि में दो बार आवेदन किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(2) श्रेणी परिवर्तन के पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज, जो प्रथम पंजीकरण के लिये आवश्यक थे, के साथ पंजीकरण फीस व प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

30. निर्देशों का पुनरीक्षण :– सक्षम प्राधिकारी उक्त निर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन, संयोजन, विलोपन तथा अन्य परिवर्तन कर सकता है तथा इस प्रकार का परिवर्तन पंजीकृत विज्ञापको के लिये बाध्यकारी होगा।

31. छूट की शक्ति :– सक्षम प्राधिकारी लोकहित में या अतिआवश्यकता वाले ऐसे कारण जो लेखबद्व किये जा सके को दृष्टिगत रखते हुये इन निर्देशों में आवश्यक छूट दे सकता है।

32. दस्तावेजो का सत्यापन :– आवेदन फार्म के साथ संलग्न सभी दस्तावेज स्वःप्रमाणित होगें। यद्यपि प्रोपराईटरशीप के सन्दर्भ में सभी दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित होने चाहिये।

33. दाण्डिक प्रक्रिया (Penal Action):– (1) पंजीकृत एडवरटाईजर्स को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों, कोटा नगर निगम विज्ञापन उपविधियों, माननीय न्यायालय के आदेशों–निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही पंजीकृत एडवरटाईजर्स पंजीकरण/नवीनीकरण के निर्देश, अनुबन्ध की शर्तों और निविदा की शर्तो जो भी लागू हो की पालना के लिये बाध्य रहेगा। सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह पंजीकृत एडवरटाईजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उनकी पंजीकृत श्रेणी का अवनयन कर सकेगा, उसके व्यावसायिक कार्य को किसी भी अवधि के लिये निलम्बित कर सकेगा, पंजीकृत एडवरटाईजर्स की अनुमोदित सूची से ऐसे एडवरटाईजर्स का नाम हटा सकेगा या बहिष्कृत कर सकेगा और कालीसूचीबद्व (Black Listed) कर सकेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

34. निरसन एवं व्यावृत्तिया :– इन निर्देशो के लागू होने के बाद से नगर निगम कोटा में एडवरटाईजर्स के पंजीकरण/नवीनीकरण के पूर्व के सभी प्रचलित निर्देश यदि कोई हो तो निरसित हो जायेगें। परन्तु ऐसा निरसन तत्समय प्रचलित नियमों/कानूनों/उपविधियों के तहत् की गई किसी भी कार्यवाही की विधि मान्यता या अविधिमान्यता पर प्रभाव नही डालेगा।

नगर निगम कोटा से इन निर्देशों के लागू होने से पहले से ही विज्ञापन प्रदर्शन अनुज्ञा प्राप्त एडवरटाईजर्स को भी इन निर्देशों के तहत् किसी भी श्रेणी में पंजीकरण करवाने हेतु निर्धारित संलग्न आवेदन प्रपत्र और संलग्न सारणी–1 में उल्लेखित निर्धारित फीस और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। ऐसा पंजीकरण/नवीनीकरण इन निर्देशों के आधार पर होगा।

35. न्याय क्षेत्र :– किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय अधिकार क्षेत्र कोटा शहर होगा।

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

सारणी – 1

श्रेणी का प्रकार	निविदा सीमा	पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य)	प्रतिभूति जमा (वापसी योग्य)	वार्षिक टर्न ओवर	बैंक गारंटी / जमानतदार सम्पत्तियों का मूल्य	नवीनीकरण शुल्क	विज्ञापन व्यवसाय का आवश्यक अनिवार्य अनुभव
A	असीमित	रू0 20,000 / –	रू0 1,00,000 / –	एक करोड़ रूपये	पच्चीस लाख रूपये	दस हजार रूपये	दो वर्ष
B	अधिकतम पचास लाख रूपये वार्षिक	रू0 10,000 / –	रू0 50,000 / –	चालिस लाख रूपये	दस लाख रूपये	पांच हजार रूपये	एक वर्ष
C	अधिकतम दस लाख रूपये वार्षिक	रू0 5,000 / –	रू0 25,000 / –	पांच लाख रूपये	दो लाख रूपये (केवल बैंक गारंटी)	रू0 2,500 / –	आवश्यक नही

नोट :– उक्त सारणी में प्रदर्शित दरों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

मूल्य रू0 500/–

नगर निगम कोटा (राजस्थान)

(राजस्व अनुभाग)

राजीव गांधी भवन, नगर निगम कोटा, ब्लॉक "सी", कमरा नं0 301/307,
कोटा (राजस्थान) – 324009

विज्ञापन संवेदक के रूप में पंजीकरण का आवेदन पत्र

सेवा में,

आयुक्त महोदय
नगर निगम कोटा

महोदय,

निवेदन है कि मैं व्यक्तिगत/मेरी फर्म/संस्था/कम्पनी को एडवरटाईजर की A/B/C श्रेणी के अन्तर्गत नगर निगम कोटा के इन निर्देशों के अधीन विज्ञापन प्रदर्शन लाईसेंस (समाचार पत्र और टीवी चेनलों में प्रकाशित विज्ञापनों से अलग) प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य बनने हेतु पंजीकरण करवाना चाहता हूँ। पंजीकरण हेतु आवश्यक सूचना निम्नानुसार है :–

1. विज्ञापन संवेदक :–...(A/B/C में से कोई एक श्रेणी)
2. फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम :–..
3. नागरिकता :– ....(भारतीय/अन्य)
4. आवेदक फर्म/संस्था/कम्पनी का पता :–

(अ) रजिस्टर्ड ऑफिस का पता :–...
....

टेलिफोन/दुरभाष नम्बर :– ...., मोबाईल नम्बर..
फैक्स नम्बर :– ...., ई मेल आईडी..

(ब) हेड ऑफिस का पता :– ....
....

टेलिफोन/दुरभाष नम्बर :– ...., मोबाईल नम्बर..
फैक्स नम्बर :– ...., ई मेल आईडी..

(स) ब्रान्च ऑफिस का पता :– ....
....

टेलिफोन/दुरभाष नम्बर :– ...., मोबाईल नम्बर..
फैक्स नम्बर :– ...., ई मेल आईडी..

5. संविधान :– व्यक्तिगत...
व्यक्तिगत हैसियत की फर्म से सम्बन्धित..
भागीदारी हैसियत की फर्म से सम्बन्धित..

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से सम्बन्धित...

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से सम्बन्धित...

6. उस व्यक्ति का नाम जो फर्म/संस्था/कम्पनी के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर इत्यादि की हैसियत से आवेदन कर रहा है...

नोट :–

1. **पार्टनरशीप फर्म के मामलों में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र फर्म के ही किसी हिस्सेदार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और आवेदन पत्र से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज उसी हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेगें। जिसके पक्ष में फर्म के अन्य हिस्सेदारों द्वारा अधिकार पत्र/प्राधिकृत पत्र जारी किया गया है।**
2. **कम्पनी के मामलों में कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा पारित संकल्प के जरिये अधिकृत किया गया हस्ताक्षरकर्ता ही कम्पनी की तरफ से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।**

कृपया इस आवेदन पत्र के साथ पार्टनरशीप फर्म/कम्पनी के मामलों में उक्त अनुसार जारी किये गये प्राधिकृत पत्र/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संकल्प पत्र की प्रति संलग्न करें।

7. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पिता का नाम :–...
8. (अ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी पता :–...

....

(ब) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का वर्तमान पता :–...

....

9. (अ) प्रोपराईटर/पार्टनरों/निदेशकों आदि का विवरण

प्रोपराईटर/पार्टनरों/निदेशकों का नाम	**प्रोपराईटर/पार्टनरों/निदेशकों के पिता/पति का नाम**	**फर्म/कम्पनी में स्थिति/पद**	**जन्म तिथि मय आयु**	**पता मय टेलिफोन नम्बर**	**पेन नम्बर**	**हस्ताक्षर का नमूना**

नोट :– यदि उक्त सूचनाओं के लिये स्थान पर्याप्त नही हो तो कृपया पृथक से सूची संलग्न करें।

(ब) यदि उक्त विवरण में शामिल कोई प्रोपराईटर, हिस्सेदार, डायरेक्टर नगर निगम कोटा में एडवरटाइजर के रूप में पूर्व से ही पंजीकृत किसी फर्म/कम्पनी का प्रोपराईटर, पार्टनर, डायरेक्टर हो तो विवरण प्रस्तुत करें :–..

....

10. (अ) विज्ञापन के व्यवसाय में अनुभव का विवरण :–..

(ब) विज्ञापन के व्यवसाय में अनुभव की अवधि का विवरणः–...

11. (अ) कोटा शहर में पत्राचार के लिये ऑफिस का पता :–..

....

(ब) टेलिफोन नम्बर :–.....................................(स) मोबाईल नम्बर :–.....................................

12. फर्म या कम्पनी के उस व्यक्ति का नाम और पद/फर्म या कम्पनी में स्थिति जिससे कम्पनी की तरफ से पत्राचार किया जायेगा...

13. **(i) जमानत का विवरण :–**

(अ) जमानती का नाम :–...

(ब) जमानत के रूप में गिरवी रखी गयी सम्पत्ति का विवरण :– ....

(स) जमानत के रूप में गिरवी रखी गयी सम्पत्ति की स्थिति :–..

(द) जमानती के रूप में गिरवी रखी गयी सम्पत्ति का मूल्य :–..

(ii) बैंक गारन्टी का विवरण :–

(अ) बैंक गारन्टी की राशि :–..

(ब) बैंक का नाम और बैंक गारन्टी की वैधता की अवधिः– ....

14. विगत तीन वर्षो का सालाना टर्न ओवर :–	अवधि / वर्ष	राशि (रूपये में)
(कृपया स्वंय या मूल फर्म के रूप में पृथक–पृथक अंकित करें)		
(अ) विज्ञापन व्यवसाय	....	....
(ब) अन्य व्यवसाय (यदि कोई हो)	....	....

15. फर्म / कम्पनी के खाता संख्या मय बैंकों के सम्पूर्ण नाम व पता..
....

मैं / हम (समस्त हिस्सेदारों / निदेशको) प्रमाणित करते है कि मैंने / हमने नगर निगम कोटा में एडवरटाईजर के पंजीकरण / नवीनीकरण के निर्देश भली–भांति पढ़ और समझ लिये है। साथ ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 मय अध्यतन संशोधनों, नगर निगम कोटा की विज्ञापन उपविधियों / नियमों मय समस्त संशोधनों, पंजीकरण / नवीनीकरण के निमित न्यायालय के समस्त आदेशों / निर्देशों को भी भली–भांति पढ़ व समझ लिया है। मैं / हम उक्त अधिनियम / उपविधियों / नियमों / आदेशों / निर्देशों की पूर्ण पालना के लिये बाध्य रहेगें और इस निमित निर्धारित पंजीकरण शुल्क व प्रतिभूति जमा की पूर्ण राशि जमा कराने के लिये बाध्य रहेगें।

ऊपर दी गई समस्त सूचनायें मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास में पूरी तरह से सत्य है और कोई भी तथ्य छुपाये नही गये है

यदि उक्त सूचनाओं में से कोई भी सूचना किसी भी समय किसी भी स्तर पर गलत या मिथ्या या भ्रामक पायी जाती है तो नगर निगम कोटा को मेरा / हमारा किया गया पंजीकरण बिना किसी सूचना / नोटिस के निरस्त करने और मेरे / हमारे द्वारा जमा समस्त राशि / प्रतिभूति, बैंक गारन्टी को जब्त करने की स्वतन्त्रता होगी और मुझे / हमें दी गयी सभी अनुमतियां / अनुज्ञायें व विज्ञापन प्रदर्शन का ठेका निरस्त करने की स्वतन्त्रता होगी।

हस्ताक्षर..

हस्ताक्षर कर्ता का नाम व पद / स्थिति

..

..

दिनांक..

स्थान..

संलग्नक :– (कृपया परिशिष्ट–6 में वर्णित दस्तावेजों के सामने के कॉलम में टीक मार्क करें)।

(यह शपथ–पत्र नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प राशि रू0 10/– पर निष्पादित और पब्लिक नोटेरी द्वारा सत्यापित हो)

शपथ–पत्र

मैं...पिता/पत्नि/पुत्री..निवासी..................................
....ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि :–

1. यह कि मैं (कम्पनी/फर्म में पद/स्थिति)...मैसर्स (कम्पनी/फर्म का पूर्ण नाम मय ऑफिस पता)..की ओर से नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन का व्यवसाय/व्यापार में कर रहा/रही हूँ।
2. यह कि मैं मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी मैसर्स...का नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन के उद्देश्य से एडवरटाईजर के रूप में निर्धारित अधिनियम/नियमों/उपविधियों/निर्देशों के अधीन पंजीकरण करवाना चाहता हूँ।
3. यह कि मेरे द्वारा आयुक्त, नगर निगम कोटा, राजीव गांधी भवन, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा (राजस्थान) 324006 को दिनांक.................................को जरिये आवेदन पत्र आवेदन किया गया है। जिसके लिये मैं संलग्न प्राधिकार पत्र दिनांक..............................के द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्राधिकृत हूँ।
4. यह कि न तो मैं स्वंय और ना ही मैसर्स..का कोई प्रोपराईटर/हिस्सेदार/निदेशक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी भी ऐसी अन्य कम्पनी/ऐजेन्सी/फर्म से सम्बद्व नही है जो नगर निगम कोटा की बकायादार हो।
5. यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है उसे कभी–भी नगर निगम कोटा द्वारा कालीसूचीबद्व (Black Listed) या जुर्माने से दण्डित नही किया गया है।
6. यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी बेनामी नही है।
7. यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, विज्ञापन उपविधियां, नियमों, निर्देशों की पालना हेतु बाध्य होगी और साथ ही समय–समय पर नगर निगम कोटा द्वारा जारी की गई अन्य शर्तो एवं निर्देशों की पालना हेतु बाध्य होगी।
8. यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी नगर निगम कोटा को नियमित रूप से निर्धारित कर/फीस या अन्य बकाया का भुगतान करती रहेगी।
9. यह कि मैं यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सभी सूचनायें और संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज पूर्णतया सत्य है और वास्तविक व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षरशूदा है। आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई समस्त सूचनायें और या संलग्न दस्तावेज मिथ्या पाये जाते है या किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नगर निगम कोटा पंजीकरण निरस्त करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

शपथग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

आज दिनांक..............................स्थान कोटा पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ–पत्र में पेश की गई समस्त विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नही है और ना कुछ भी छुपाया गया है।

शपथग्रहिता

परिशिष्ट –3

(यह शपथ–पत्र नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प राशि रू0 50/– पर निष्पादित और पब्लिक नोटेरी द्वारा सत्यापित हो)

क्षतिपूर्ति बंध–पत्र

1. यह क्षतिपूर्ति अनुबन्ध आज दिनांक.......................को कोटा में श्री..
पिता/पत्नि/पुत्री..निवासी..
.................................द्वारा आयुक्त, नगर निगम कोटा के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।
2. यह कि निष्पादनकर्ता मैसर्स..का प्रोपराईटर/हिस्सेदार/निदेशक है जिसके द्वारा नगर निगम कोटा में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एडवरटाईजर के रूप में अधिनियम/नियम/उपविधियों/निर्देशों के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
3. यह कि निष्पादन कर्ता शपथ पूर्वक घोषणा करता है कि विज्ञापन प्रदर्शन के दौरान/विज्ञापन प्रदर्शन से सम्बन्धित किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा नगर निगम कोटा को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति, हानि/नुकसान या किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को होने वाले नुकसान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले दावा/दावों के लिये धारित क्षति के लिये निष्पादनकर्ता पूर्णतः जिम्मेदार होगा। नगर निगम कोटा उक्त प्रकार की किसी भी क्षति या दावे के लिये उत्तरदायी नही होगा।

निष्पादनकर्ता

(यह शपथ–पत्र नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प राशि रू0 50/– पर निष्पादित और पब्लिक नोटेरी द्वारा सत्यापित हो)

जमानत बंध–पत्र

1. यह जमानत बंध पत्र आज दिनांक........................को कोटा में श्री.. पिता/पत्नि/पुत्री...निवासी.. ...., जो कि सम्पत्ति/भवन/भूखण्ड संख्या.................का कानूनी मालिक है, द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, विज्ञापन उपविधियां/नियमों/निर्देशों के अधीन नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन (समाचार पत्रों/टीवी चैनलों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा) के उद्देश्य से मैसर्स..... ....के नगर निगम कोटा में पंजीकरण के लिये आयुक्त नगर निगम कोटा के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।
2. यह कि निष्पादनकर्ता मैसर्स..के लिये और की तरफ से राशि रू0................................/– (अंको में...) के दाम पर जमानत देता है।
3. मैसर्स..द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन के लिये निर्धारित लाईसेंस फीस, विज्ञापन कर और अन्य प्रभारों के भुगतान में असफल रहने की स्थिति में निष्पादनकर्ता इस प्रकार के समस्त बकाया मय ब्याज और या जुर्माना के भुगतान के लिये उत्तरदायी होने की शपथ लेता है।
4. यह कि निष्पादनकर्ता मैसर्स..के द्वारा नगर निगम कोटा को देय किसी भी प्रकार के बकाया की स्थिति में उक्त वर्णित सम्पत्ति/भवन/भूखण्ड संख्या.................का बेचान/गिरवी या हस्तान्तरण नही करने की शपथ लेता है।
5. यह कि निष्पादनकर्ता को आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा आवंटित पेन नम्बर.................................है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

निष्पादनकर्ता

गवाह :–

1.

2.

मूल्य रू0 500/–

नगर निगम कोटा (राजस्थान)

(राजस्व अनुभाग)

राजीव गांधी भवन, नगर निगम कोटा, ब्लॉक ''सी'', कमरा नं0 301/307,
कोटा (राजस्थान) – 324009

विज्ञापन संवेदक के रूप में पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

आयुक्त महोदय
नगर निगम कोटा

विषयः– राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, विज्ञापन उपविधियों/नियमों/आदेशों/निर्देशों मय समस्त संशोधनों के अधीन एडवरटाईजर के रूप में नगर निगम कोटा में पंजीकरण का नवीनीकरण चाहने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं व्यक्तिगत/मेरी फर्म/संस्था/कम्पनी के नगर निगम कोटा में एडवरटाईजर के रूप में पंजीकरण A/B/C श्रेणी के अन्तर्गत नगर निगम कोटा के इन निर्देशों के अधीन विज्ञापन प्रदर्शन लाईसेंस (समाचार पत्र और टीवी चेनलों में प्रकाशित विज्ञापनों से अलग) प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य बनने हेतु करवाया गया है जिसका नवीनीकरण चाहता हूँ। पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवश्यक सूचना निम्नानुसार है :–

1. विज्ञापन संवेदक :–..(A/B/C में से कोई एक श्रेणी)
2. पंजीकरण क्रमांक मय वैधता अवधिः–..
3. फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम :–...
4. नागरिकता :– ....(भारतीय/अन्य)
5. आवेदक फर्म/संस्था/कम्पनी का पता :–

   (अ) रजिस्टर्ड ऑफिस का पता :–...
   ....

   टेलिफोन/दुरभाष नम्बर :– ...., मोबाईल नम्बर...
   फैक्स नम्बर :– ...., ई मेल आईडी...

   (ब) हेड ऑफिस का पता :– ....
   ....

   टेलिफोन/दुरभाष नम्बर :– ...., मोबाईल नम्बर...
   फैक्स नम्बर :– ...., ई मेल आईडी...

   (स) ब्रान्च ऑफिस का पता :– ....
   ....

   टेलिफोन/दुरभाष नम्बर :– ...., मोबाईल नम्बर...
   फैक्स नम्बर :– ...., ई मेल आईडी...

6. संविधान :– व्यक्तिगत..
व्यक्तिगत हैसियत की फर्म से सम्बन्धित...
भागीदारी हैसियत की फर्म से सम्बन्धित..
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से सम्बन्धित...
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से सम्बन्धित...

7. उस व्यक्ति का नाम जो फर्म/संस्था/कम्पनी के प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर इत्यादि की हैसियत से आवेदन कर रहा है...

नोट :–

1. पार्टनरशीप फर्म के मामलों में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र फर्म के ही किसी हिस्सेदार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और आवेदन पत्र से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज उसी हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेगें। जिसके पक्ष में फर्म के अन्य हिस्सेदारों द्वारा अधिकार पत्र/प्राधिकृत पत्र जारी किया गया है।

2. कम्पनी के मामलों में कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा पारित संकल्प के जरिये अधिकृत किया गया हस्ताक्षरकर्ता ही कम्पनी की तरफ से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

कृपया इस आवेदन पत्र के साथ पार्टनरशीप फर्म/कम्पनी के मामलों में उक्त अनुसार जारी किये गये प्राधिकृत पत्र/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संकल्प पत्र की प्रति संलग्न करें।

3. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पिता का नाम :–..

4. (अ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी पता :–..
....
(ब) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का वर्तमान पता :–..
....

5. (अ) कोटा शहर में पत्राचार के लिये ऑफिस का पता :–...
....
(ब) टेलिफोन नम्बर :–.......................................(स) मोबाईल नम्बर :–.......................................

6. फर्म या कम्पनी के उस व्यक्ति का नाम और पद/फर्म या कम्पनी में स्थिति जिससे कम्पनी की तरफ से पत्राचार किया जायेगा...

7. फर्म/कम्पनी के खाता संख्या मय बैंकों के सम्पूर्ण नाम व पता..
....

8. फर्म/कम्पनी के संविधान/पता/बैंक खाता इत्यादि में कोई परिवर्तन यदि हो तो विवरण पेश करें..........
....

9. विगत वर्ष के दौरान आवंटित कार्य/अनुबन्ध/अनुज्ञा का विवरण, यदि कोई हो.......................................
....

10.

मैं/हम (समस्त हिस्सेदारों/निदेशको) प्रमाणित करते है कि मैंने/हमने नगर निगम कोटा में एडवरटाईजर के पंजीकरण के नवीनीकरण के निर्देश भली–भांति पढ़ और समझ लिये है। साथ ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 मय अध्यतन संशोधनों, नगर निगम कोटा की विज्ञापन उपविधियों/नियमों मय समस्त संशोधनों, पंजीकरण के नवीनीकरण के निमित न्यायालय के समस्त आदेशों/निर्देशों को भी भली–भांति पढ़ व समझ लिया है। मैं/हम उक्त अधिनियम/उपविधियों/नियमों/आदेशों/निर्देशों की पूर्ण पालना के लिये बाध्य रहेगें और इस निमित निर्धारित पंजीकरण के नवीनीकरण की पूर्ण राशि जमा कराने के लिये बाध्य रहेगें।

ऊपर दी गई समस्त सूचनायें मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में पूरी तरह से सत्य है और कोई भी तथ्य छुपाये नही गये है

यदि उक्त सूचनाओं में से कोई भी सूचना किसी भी समय किसी भी स्तर पर गलत या मिथ्या या भ्रामक पायी जाती है तो नगर निगम कोटा को मेरा/हमारा किया गया पंजीकरण बिना किसी सूचना/नोटिस के निरस्त करने और मेरे/हमारे द्वारा जमा समस्त राशि/प्रतिभूति, बैंक गारन्टी को जब्त करने की स्वतन्त्रता होगी और मुझे/हमें दी गयी सभी अनुमतियां/अनुज्ञायें व विज्ञापन प्रदर्शन का ठेका निरस्त करने की स्वतन्त्रता होगी।

हस्ताक्षर...

हस्ताक्षर कर्ता का नाम व पद/स्थिति

....

....

दिनांक...

स्थान...

संलग्नक :– (कृपया संलग्न किये गये दस्तावेजों के सामने टीक मार्क करें)।

<u>नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें :–</u>

1. एक शपथ–पत्र इस बाबत् फर्म/कम्पनी के संविधान में कोई भी परिवर्तन नही किया गया है।
2. विगत वर्ष की कम्पनी/फर्म की ऑडिट की गई, बेलेंसशीट की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. विगत वर्ष की कम्पनी/फर्म के वार्षिक वित्तीय विवरण की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. विगत वर्ष की कम्पनी/फर्म के आयकर रिर्टन की सत्यापित प्रतिलिपि।
5. विगत वर्ष की कम्पनी/फर्म के बैंक खाते के विवरण की सत्यापित प्रतिलिपि।
6. पुराने पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सम्पूर्ण फोटो प्रतिलिपि।
7. आयुक्त नगर निगम कोटा को देय पंजीकरण के नवीनीकरण शुल्क का डी.डी./पेआर्डर।
8. विभिन्न श्रेणी के लिये नवीनीकरण शुल्क निम्न प्रकार है :–

   (अ) श्रेणी ''ए'' रू0 10,000/–

   (ब) श्रेणी ''बी'' रू0 5,000/–

   (स) श्रेणी ''सी'' रू0 2,500/–

पंजीकरण के लिये संलग्न दस्तावेज

क्र0सं0	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न है	संलग्न नही है	पृष्ठ संख्या
1	**संविधान का प्रमाण (निर्देशानुसार)** 1. अविभाजित हिन्दू परिवार/एकल स्वामित्व की फर्म के मामलों में आवेदक के एकल स्वामित्व/अविभाजित हिन्दू परिवार का सर्वेसरवा बताने वाला प्रथम श्रेणी दण्डनायक का शपथ–पत्र। 2. `साझेदारी फर्म के मामलों में संलग्न प्रतिलिपियां :– (अ) पंजीकृत साझेदारी डीड। (ब) प्रपत्र ''ए'' या फर्मो के रजिस्ट्रार द्वारा जारी समकक्ष प्रपत्र। (स) प्रपत्र ''बी'' या फर्मो के रजिस्ट्रार द्वारा जारी समकक्ष प्रपत्र। (द) प्रपत्र ''सी'' या फर्मो के रजिस्ट्रार द्वारा जारी समकक्ष प्रपत्र। 3. पब्लिक/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में संस्था के ज्ञापन और अनुच्छेद की संलग्न प्रतिलिपि।			
2	**देय शुल्क (सारणी–1 के कॉलम संख्या 3 व 4 के अनुसार)** 1. पंजीकरण शुल्क (नोन रिफंडेबल)। 2. प्रतिभूति जमा (रिफंडेबल)।			
3	**फोटो** 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/आवेदक के दो नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो जिनमें से एक निर्धारित स्थान पर चस्पा किया गया हो। 2. आवेदक फर्म/कम्पनी के प्रत्येक साझेदारों/निदेशको के दो–दो स्वःप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईट के फोटो।			
4	**व्यवसाय के ऑफिस भवन के पते का प्रमाण** 1. फर्म/कम्पनी के मालिकाना हक के मामलों में कानूनी मालिकाना हक के दस्तावेज। 2. किरायेदारी के मामलों में किराया नामा/लीज ऐग्रीमेंट व अध्यतन किराया रसीद।			
5	**निवास का प्रमाण** आवेदक फर्म/कम्पनी के प्रत्येक प्रोपराईटर/साझेदारों /निदेशको के निम्न से कोई एक दस्तावेज की प्रतिलिपि :– 1. मतदाता पहचान पत्र या 2. पासपोर्ट या 3. ड्राईविंग लाईसेंस।			
6	**वित्तीय क्षमता का प्रमाण (सारणी–1 के कॉलम 5 के अनुसार)** (अ) निम्नांकित दस्तावेजो की प्रतिलिपि। 1. कम्पनी/फर्म और सभी प्रोपराईटर/साझेदारो/निदेशको			

	के प्रत्येक के भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड या पेन कार्ड के लिये किये गये आवेदन पत्र का प्रमाण। 2. चार्टड अकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित–प्रमाणित विगत तीन वर्षो (चालू वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुये या शामिल किये बिना) का कम्पनी/फर्म का वित्तीय विवरण जो सारणी–1 के कॉलम 5 के अनुसार एडवरटाईजर्स की सम्बन्धित श्रेणी के लिये निर्धारित सालाना टर्न ओवर की राशि से कम राशि नही होना बताता हो। 3. चार्टड अकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित–प्रमाणित विगत तीन वर्षो (चालू वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुये या शामिल किये बिना) का कम्पनी/फर्म का बेलेंसशीट जो सारणी–1 के कॉलम 5 के अनुसार एडवरटाईजर्स की सम्बन्धित श्रेणी के लिये निर्धारित सालाना टर्न ओवर की राशि से कम राशि नही होना बताता हो। 4. कम्पनी/फर्म का विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न। 5. कम्पनी/फर्म के बैंक अकाउन्ट (जैसा कि आयकर रिटर्न में दर्शाया गया है) का विवरण मय विगत बारह माह का बैंक स्टेटमेंट। **(ब) जमानत बन्द पत्र (परिशिष्ट–4 के अनुसार)** अचल सम्पत्ति के मालिक द्वारा निष्पादित **जमानत बन्द पत्र** जिसमें अचल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य सारणी–1 के कॉलम 6 की सम्बन्धित श्रेणी के लिये निर्धारित मूल्य से कम नही हो **मय** 1. उक्त अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण केवल कोटा के सम्बन्धित उपपंजीयक द्वारा पंजीकृत बेचान विलेख, लीज डीड, हस्तान्तरण विलेख, रूपान्तरण विलेख के रूप में। 2. उक्त अचल सम्पत्ति के मालिक के पेनकार्ड की प्रतिलिपि या भारत सरकार के आयकर विभाग को पेनकार्ड के लिये आवेदन का प्रमाण। 3. उक्त अचल सम्पत्ति के मालिक द्वारा दाखिल किया गया नवीनतम आयकर रिटर्न प्रपत्र और 4. सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य निर्धारक द्वारा जारी मूल्यांकन रिकार्ड **या** कम से कम एक साल की अवधि के लिये वैध बैंक गारन्टी जो आयुक्त नगर निगम कोटा के पक्ष में सारणी–1 के कॉलम 6 के अनुसार निर्धारित राशि से कम राशि की नही हो, जो पंजीकरण के नवीनीकरण के समय वर्ष दर वर्ष आधार पर नवीनीकृत हो।			
7	**प्राधिकृति का प्रमाण** पंजीकरण के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर्ता को हस्ताक्षर करने और आवेदन प्रस्तुत करने का कम्पनी/साझेदार फर्म के मामलों में			

	बोर्ड के निदेशको द्वारा पारित संकल्प/साझेदारो द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र जो कि उक्त पंजीकरण के लिये आवश्यक है।			
8	**अनिवार्य अनुभव** 1. श्रेणी ''ए'' के लिये विगत दो वर्षो का सेवाकर रिटर्न और बिल प्रस्तुत करने की प्रतिलिपियां जो विज्ञापन व्यवसाय से होने वाली आय को दर्शाते हो और श्रेणी ''बी'' के लिये विगत एक वर्ष का सेवाकर रिटर्न और बिल प्रस्तुत करने की प्रतिलिपियां जो विज्ञापन व्यवसाय से होने वाली आय को दर्शाते हो। 2. आवेदक फर्म/कम्पनी के विज्ञापन व्यवसाय से सम्बन्धित अनुज्ञायें/अनुबन्ध/कार्य आदेश/एम.ओ.यू. की प्रतिलिपियां			
9	आवेदक फर्म/कम्पनी का नगर निगम कोटा को देय राशि का बकाया नही होने का एक शपथ-पत्र। **और** पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये प्रस्तुत दस्तावेजो के झूठे और मनगढ़न्त होने पर पंजीकरण/नवीनीकरण को बिना सूचना दिये नगर निगम कोटा द्वारा निरस्त करने का एक शपथ-पत्र।			

फर्म/कम्पनी के तरफ प्रोपराईटर/साझेदार/निदेशक इत्यादि के रूप में आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय पद/स्थिति व नाम :...